न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 120 सन 2018
अनवान :–

1. सुशील कुमार पुत्र विजयसिह जाति जाट साकिन भुकरका तहसील नोहर

सायल

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र विजयसिह जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विजयसिह पुत्र परसाराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैरसायल

5. भगवन्ती पुत्री विजयसिह जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर ।

तरतीबी **गैर सायल**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 07/09/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल की दादालाई कृषि भूमि रोही मोजा भूकरका के खाता संख्या 269/258 की कुल 15.0240हैक में से 25.00 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 देवेन्द्र के नाम से दर्ज है।

सायल व गैरसायल न0 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 उक्त भूमि में अपने अपने भाई गैरसायल न0 1 के साथ जन्म से बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इसी आश्य की धोषणा न्यायालय से करवा पाने का अधिकारी है ।

सायल व गैरसायल न0 1 ,2 व तरतीबी गैरसायल न0 4 ने उक्त मुश्तरका भूमि का बाहमी बटवारा कर रखा है तथा बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का फायदा उठा कर बिना किसी जायज जरूरत वाद भूमि रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद के निस्तारण तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 269/256 की कुल 15.0240हैक भूमि में से 25 बीधा भूमि का खाता व लगान तकसीम करवाये बिना रहने बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 2 का रजिस्टर सम्मन /नोटिस से तलब करने के उपरान्त उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील सायला की एक पक्षिय बहस सुनी गई ।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व गैरसायल की दादालाई कृषि भूमि रोही मोजा भूकरका के खाता संख्या 269/258 की कुल 15.0240हैक में से 25.00 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 देवेन्द्र के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल व गैरसायल न0 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 उक्त भूमि में अपने अपने भाई गैरसायल न0 1 के साथ जन्म से बहिय के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इसी आशय की घोषणा न्यायालय से करवा पाने का अधिकारी है ।

सायल व गैरसायल न0 1 ,2 व तरतीबी गैरसायल न0 4 ने उक्त मुश्तरका भूमि का बाहमी बटवारा कर रखा है तथा बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का फायदा उठा कर बिना किसी जायज जरूरत वाद भूमि रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद के निस्तारण तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने वकील सायल की एक पक्षिय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है ।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा भूकरका के अनुसार वाद भूमि पूर्व में जमना बेवा परसाराम के नाम से दर्ज थी तथा जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 वाद भूमि देवेन्द्र कुमार पुत्र विजयसिह के नाम से दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 की माता जमना के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति साबित होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण व सूविधा का सन्तूलन सायल के पक्ष में पाया जाता है ।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है गैरसायल न0 1 वर्तमान में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण कभी भी वाद भूमि रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है सायल के हकों के निर्धारण से पूर्ण यदि वाद भूमि मुन्तकिल होती है तो गैरसायल को किसी प्रकार का नुकसान नही होगा सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन ,अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहउपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner